सं0–7/स्थानीय–15–01/2012 08(709)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन, पटना।

पटना, दिनांक : 19-4-12

विषय : गैर योजना मांग संख्या 20 शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड–N2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹10,93,53,100/– (दस करोड़ तिरान्वे लाख तीरपन हजार एक सौ) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषायांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹10,93,53,100/– (दस करोड़ तिरान्वे लाख तीरपन हजार एक सौ रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. गैर योजना मांग संख्या 20 शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी– 200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड– N2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से निकासी की जायेगी।

4. मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्तियॉ तथा दवा भंडार इकाई में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, पटना होंगें तथा शेष इकाईयों में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना / निदेशक, / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना / संबंधित औषधालय/ अस्पताल के अपर मुख्य चिकत्सा पदाधिकारी/ उपाधीक्षक /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2012–13 के भुगतान के लिए उप आवंटन एक मुस्त करेगें। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यरत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

18/4/012

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

9. *आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने,* उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

10. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लायी गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।

11. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

12. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

14. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

18/4/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 08(7)9 /पटना, दिनांक : 19-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/निदेशक, गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्थानीय अस्पताल, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

18/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी

व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड–N2210012000005 के अन्तर्गत वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आवंटन ।

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवषेष राषि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	55947400	44757920	11189480
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	37484600	29987680	7496920
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	11189400	8951520	2237880
4	परिवहन भत्ता (01–05)	1276800	1021440	255360
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	465600	372480	93120
6	अन्य भत्ता (01–07)	1018200	814560	203640
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**107382000**	**85905600**	**21476400**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	200000	100000	100000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	165000	82500	82500
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	400000	200000	200000
11	दूरभाष (13–03)	100000	50000	50000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	2500000	1250000	1250000
13	विधि प्रभार (13–05)	110000	55000	55000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	100000	50000	50000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	600000	300000	300000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	2880000	1440000	1440000
17	दवा भंडार (21–02)	27000000	13500000	13500000
18	आहार / पथ्य (21–03)	1000	0	1000
19	लधु कार्य (27–01)	1000	0	1000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	20000000	0	20000000
21	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ	6000000	3000000	3000000
22	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	6840000	3420000	3420000
	कुल योगः–	**175279000**	**109353100**	**65925900**
		कुल (दस करोड़ तिरान्वे लाख तीरपन हजार एक सौ) रूपये मात्र		

18/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

08(7) 9

19-4-12